



सत्यमेव जयते

## झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या 133

29 मार्च, 1929 शकाब्द

राँची, सोमवार 18 फरवरी, 2008

नगर विकास विभाग

अधिसूचना

18 फरवरी, 2008

संख्या 336--चूँकि राज्य सरकार द्वारा राज्य के अधिसूचित नगर पंचायतों के लिए चुनाव कराने का निर्णय लिया गया है;

अतः बिहार म्यूनिसिपल एक्ट, 1922 (अंगीकृत), समय-समय पर यथा संशोधित की धारा- 19A द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड के राज्यपाल, राज्य निर्वाचन आयोग, झारखण्ड, राँची की अनुशंसा पर एतद् द्वारा संलग्न अनुसूची - 1 में दर्शाये गए चुनाव कार्यक्रम के अनुसार जिलों में अवस्थित उसी अनुसूची के स्तंभ-III में अंकित नगर पंचायतों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सदस्यों (म्यूनिसिपल कमिशनर्स) के निर्वाचन के लिए मतदान हेतु दिनांक 25 मार्च, 2008 को नियत करते हैं ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एस0 के0 सिंह,  
सरकार के सचिव,  
नगर विकास विभाग,  
झारखण्ड ।

## अनुसूची-1

### नगर पंचायत निर्वाचन, 2008

निर्वाचन कराये जाने वाले जिलावार नगर पंचायतों का नाम एवं चुनाव कार्यक्रम

क्र०	जिला का नाम	नगर पंचायतों का नाम
I	II	III
1	गुमला	नगर पंचायत, गुमला
2	सरायकेला-खरसांवा	नगर पंचायत, सरायकेला
3	पाकुड़	नगर पंचायत, पाकुड़
4	गोड्डा	नगर पंचायत, गोड्डा
5	गढ़वा	नगर पंचायत, गढ़वा
6	धनबाद	नगर पंचायत, चिरकुण्डा
7	रांची	नगर पंचायत, बुण्डू
8	रांची	नगर पंचायत, खूंटी
9	सिमडेगा	नगर पंचायत, सिमडेगा
10	पूर्वी सिंहभूम	नगर पंचायत, चाकुलिया
11	जामताड़ा	नगर पंचायत, मिहिजाम
12	दुमका	नगर पंचायत, बासुकीनाथ
13	जामताड़ा	नगर पंचायत, जामताड़ा
14	साहेबगंज	नगर पंचायत, राजमहल
15	मेदिनीनगर	नगर पंचायत, हुसैनाबाद
16	लातेहार	नगर पंचायत, लातेहार

क्र०	चुनाव कार्यक्रम	दिनांक
I	II	III
1	प्रपत्र- V में सूचना	20.02.08
2	नामांकन की अंतिम तिथि	27.02.08
3	संविधा	28.02.08
4	नामांकन वापसी की अंतिम तिथि	29.02.08
5	मतदान की तिथि	25.03.08
6	पुनर्मतदान (यदि आवश्यक हो)	26.03.08
7	मतगणना	27.03.08

एस0 के0 सिंह,  
सरकार के सचिव,  
नगर विकास विभाग,  
झारखण्ड ।